न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 1004 / 2022
अनवान : –

1. बुधराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री संजय कुमार जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 24/12/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के खाता स. 124 की 15 बीघा 04 बिस्वा भूमि ख.न. 188 / 1 की 7 बीघा, ख.न. 332 / 1 की 17 बीघा, ख. न. 160 की 5 बीघा 15 बिस्व भूमि कुल तादादी 44 बीघा 19 बिस्व भूमि स्थित है जिसके बुधराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर के खातेदार काश्तकार थे।

रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के ख.न. 124 की 3.846 हैक्टर भूमि ख.न. 160 की 4.301 हैक्टर ख.न. 188 / 1 की 1.7710 हैक्टर, ख.न. 332 / 1 की 1.455 हैक्टर भूमि कुल तादादी 11.373 हैक्टर भूमि में वादी के नाम ख.न. 332 / 1 की 4.301 हैक्टर भूमि रकबा था जो कि वर्तमान ख.न. 332 / 1 की 1.455 हैक्टर भूमि एवं ख.न. 160 की 1.455 हैक्टर भूमि की जगह वर्तमान में ख.न. 160 की 4.301 हैक्टर भूमि दर्ज कर दिया है जिसे वादी दुरूस्त करवापाने का अधिकारी है। रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के ख.न. 332 / 1 की 4.301 हैक्टर भूमि जो कि जमाबन्दी सम्ब्त 2042–45 एवं ख.न. 2049–52 में भी ख. न. 332 / 1 की 4.301 हैक्टर भूमि रक्बा चला आ रहा है तथा ख.न. 160 का रकबा 5 बीघा 15 बिस्व था जो कि जमाबन्दी सम्बत 2042–2045 एंव सम्बत 2049–52 में भी नामान्तरण चलता आ रहा है एवं रोही मौजा श्योराणी की जमाबन्दी सम्बत 2052–56 तैयार करते समय ख.न. 332 / 1 का खाता सं. 4. 301 हैक्टर के स्थान पर 1.455 हैक्टर भूमि एवं ख.न. 160 की 1.455 हैक्टर भूमि के स्थान पर ख.न. 160 का रकब 4.301 हैक्टर दर्ज का दिया गया जो कि सहबन से दर्ज है जिसे वादी दुरूस्त करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा ... वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज ... आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 18:01:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के ख.न. 124 की 3.846 हैक्टर भूमि ख.न. 160 की 4.301 हैक्टर ख.न. 188/1 की 1.7710 हैक्टर, ख.न. 332/1 की 1.455 हैक्टर भूमि कुल तादादी 11.373 हैक्टर भूमि में वादी के नाम ख.न. 332/1 की 4.301 हैक्टर भूमि रकबा था जो कि वर्तमान ख.न. 332/1 की 1.455 हैक्टर भूमि एवं ख.न. 160 की 1.455 हैक्टर भूमि की जगह वर्तमान में ख.न. 160 की 4.301 हैक्टर भूमि दर्ज कर दिया है जिसे वादी दुरूस्त करवापाने का अधिकारी है। रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के ख.न. 332/1 की 4.301 हैक्टर भूमि जो कि जमाबन्दी सम्ब्त 2042–45 एवं ख.न. 2049–52 में भी ख. न. 332/1 की 4.301 हैक्टर भूमि रक्बा चला आ रहा है तथा ख.न. 160 का रकबा 5 बीघा 15 बिस्व था जो कि जमाबन्दी सम्बत 2042–2045 एंव सम्बत 2049–52 में भी नामान्तरण चलता आ रहा है एवं रोही मौजा श्योराणी की जमाबन्दी सम्बत 2052–56 तैयार करते समय ख.न. 332/1 का खाता सं. 4. 301 हैक्टर के स्थान पर 1.455 हैक्टर भूमि एवं ख.न. 160 की 1.455 हैक्टर भूमि के स्थान पर ख.न. 160 का रकब 4.301 हैक्टर दर्ज का दिया गया जो कि सहबन से दर्ज है जिसे वादी दुरूस्त करवा पाने का अधिकारी है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी द्वारा हको की घोषणा का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के ख.न. 332/1 कीं. 4.301 हैक्टर के स्थान पर 1.455 हैक्टर भूमि एवं ख.न. 160 की 1.455 हैक्टर भूमि के स्थान पर ख.न. 160 का रकब 4.301 हैक्टर दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है। पटवारी द्वारा की गई मौका रिपोर्ट के मुताबिक ख0न0 332/1 के रकबा 4.301 के स्थान पर 1.455 हैक्ट व ख0न0 160 के रकबा 1.455 के स्थान पर 4.301 हैक्ट सहबन से लिपिकीय भूल वंश हुआ है अत ग्राम श्योराणी के ख0न0 332/1 का रकबा 1.455 के स्थान पर 4.301 हैक्ट तथा ख0न0 160 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 18:01:16 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रकबा 4.301 हैक्ट के स्थान पर 1.455 हैक्ट किया जाना उचित है। अत वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के ख.न. 332/1 की 4.301 हैक्टर के स्थान पर 1.455 हैक्टर भूमि एवं ख.न. 160 की 1.455 हैक्टर भूमि के स्थान 4.301 हैक्टर भूमि के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक ...24/12/25... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 18:01:16 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 1004 / 2022

अनवान : –

1. बुधराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी श्योराणी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1004 सन 2022 निर्णय दिनांक 24/12/25

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा श्योराणी तहसील नोहर के ख.न. 332 / 1 की 4.301 हैक्टर के स्थान पर 1. 455 हैक्टर भूमि एवं ख.न. 160 की 1.455 हैक्टर भूमि के स्थान 4.301 हैक्टर भूमि के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...24/12/25... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 18:01:16 IST
Reason: SelfAttested